धारा-20- सदस्यों के मत - सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि -

(क) नाम-मात्र अथवा सम्बद्ध सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा,

1(क-क) किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि -

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है, या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का, जैसाकि उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण - (1) इस खण्ड के प्रयोजनार्थ शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य- (i) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या सहकारी समिति या निगमित निकाय को) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो।

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

2 [स्पष्टीकरण-(2) समिति और उसके सदस्य के बीच किसी संव्यवहार की स्थिति में, यदि ऐसे संव्यवहार के साक्ष्य में कोई ऐसा दस्तावेज न हो जिसमें देय दिनांक विर्निदिष्ट हो, तो पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ पद " देय दिनांक" का तात्पर्य संव्यवहार के दिनांक से छः मास की समाप्ति का दिनांक होगा।

स्पष्टीकरण-(3) किसी सदस्य को बाकीदार नहीं समझा जायेगा, यदि वह उस धनराशि का, जिसका भुगतान न करने के कारण वह बाकीदार हुआ हो-

(क) (एक) निर्वाचन की दशा में, अस्थायी मतदाता सूची के विरूद्ध आपत्तियों पर निर्णय

देने के लिये नियमावली के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व,
(दो) किसी अन्य दशा में बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व, भुगतान कर दे)।

(ख) यदि कोई सहकारी समिति, राज्य गोदाम निगम (स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) अथवा निगमित संस्था ऐसी समिति की सदस्य हो, तो ऐसी सहकारी समिति राज्य गोदाम निगम या निगमित संस्था के ऐसे प्रत्येक प्रतिनिधि को, जो 1[नियत रीति से] ऐसी समिति के सामान्य निकाय में नियुक्त किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा,

(ग) यदि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम-निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा, और
(घ) नियमों या उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि सदस्यों का कोई समुदाय या वर्ग समिति के कार्यों में प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लें और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत प्राप्त हो।
2(iii) उसने अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए नियत दिनांक से पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के लिए अपने जमा खाते में कम से कम एक हजार रूपये जमा धनराशि को अनुरक्षित न किया हो।" ----------
1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1976 के द्वारा बढाये गये (3.10.1975 से प्रभावी)।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1977 के द्वारा बढाये गये।